



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67403

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 10043 सन् 2026

दिनेश @ भोलू

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- जीत बहादुर सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता, शिखर अवस्थी

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री जीत बहादुर सिंह, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री शिखर अवस्थी, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री आनंद प्रताप सिंह, राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र, विचारण की लंबितता के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 208 सन् 2015, धाराओं - 302/34, 307, 147, 148, 149 भारतीय दंड संहिता, थाना - नौझील, जनपद - मथुरा, में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ संस्थित किया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रारंभ में दिनांक 17.06.2015 को वर्तमान याचिकाकर्ता सहित सात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अन्वेषण के पश्चात् पुलिस ने दिनांक 11.12.2015 को पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता को अभियुक्त के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया था। तत्पश्चात् प्रथम सूचनादाता द्वारा दिनांक 10.08.2017 को धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2025 को अस्वीकार कर दिया गया। तत्पश्चात् उस आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण संस्थित किया गया, जिसे दिनांक 28.11.2025 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया, और उस आदेश के अनुपालन में अवर न्यायालय ने दिनांक 12.12.2025 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को समन जारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी अपराधवर्धक सामग्री की कोई बरामदगी नहीं हुई, यद्यपि याचिकाकर्ता को 315 बोर की एक राइफल रखने वाला दर्शाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथा घायल के कथन में, याचिकाकर्ता सहित चार व्यक्तियों को 315 बोर के देशी तमंचे के साथ दर्शाया गया है, जबकि मृतक के शव-परीक्षण प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उसे 315 बोर के तमंचे से केवल एक गोलीय चोट प्राप्त हुई, जिसे याचिकाकर्ता से बरामद दर्शाया नहीं गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त रौतास, श्योराज, ऋषिपाल, लतूर एवं राजू को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 31866 सन् 2015, 16588 सन् 2017, 37257 सन् 2016, 42234 सन् 2016 एवं 16590 सन् 2017 में दिनांक 11.09.2017, 19.09.2017, 19.09.2017, 01.12.2017 एवं 13.12.2017 के आदेशों द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः याचिकाकर्ता, जिसकी समान भूमिका रही है, समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का भी अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है और विचारण चल रहा है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 18.02.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, परंतु उपर्युक्त तथ्यों को विवादित नहीं कर सके।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति में रहे सह-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारागारों की अतिभीड़ एवं विचारण



न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए, एवं सर्वोच्च न्यायालय के कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 के वाद में दिए गए निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी यह राय है कि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. याचिकाकर्ता - दिनेश उर्फ भोलू, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

i. याचिकाकर्ता, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटन करने से विरत न किया जा सके, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. याचिकाकर्ता विचारण/अन्वेषण में कोई स्थगन न चाहते हुए ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. याचिकाकर्ता उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व याचिकाकर्ता एवं प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति एवं निवास-प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति, जो संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय के वचनबंध के साथ सत्यापित हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, के आधार पर रिहा किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय, याचिकाकर्ता की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु रिहाई आदेश, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (BOMS) के माध्यम से संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के जमानत प्रदान करने की नीतिगत रणनीति, संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 सन् 2021 में दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत एवं (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित, आदेश के अनुपालन में, संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा याचिकाकर्ता को प्रेषित करे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

एसए